सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–05 शुक्रवार, दिनांक–03 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:32 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन से घोषणा की गयी कि बैठक समाप्ति के तुरंत बाद अध्यक्षीय कार्यालय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी।

प्रश्नोत्तर काल प्रारम्भ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा तमिलनाडु में बिहारवासियों पर हो रहे हिंसा का मामला उठाया तथा उसपर विशेष टीम भेजकर जांच की मांग की गयी। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह मामला दोनों सदनों में उठा है और सरकार द्वारा संबंधित राज्य से इसपर प्रतिवेदन की मांग की गयी है। यदि इस संबंध में आपके पास कोई प्रमाण हो तो उसे उपलब्ध करायें ताकि सरकार इसपर उचित कार्रवाई कर सके।

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन को सूचित किया कि तमिलनाडु राज्य के डी.जी.पी. से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार इस तथाकथित हिंसा पर जारी दोनों विडियो को फर्जी पाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में विपक्ष के माननीय सदस्यगण के पास कोई प्रमाण हो तो उसे सदन पटल पर रखे, जिसपर जांचोपरान्त सरकार उचित कार्रवाई करेगी।

आसन द्वारा इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा किये जा रहे शोरगुल तथा उनके असंसदीय व्यवहारों पर आपत्ति प्रकट की गयी और उन्हें अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया। माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह किया गया कि अपनी बातों से संबंधित साक्ष्य सदन पटल पर रख दें।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 वित्त विभाग में स्थानान्तरित।
(iii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iv) 05 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(v) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(vi) 11 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(vii) 149 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 के निस्तारण के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री संजय सरावगी एवं श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्रीमती नीतु कुमारी
(ii) श्री महा नंद सिंह
(iii) श्रीमती मंजू अग्रवाल
(iv) श्री इजहारूल हुसैन
(v) श्री अरूण सिंह
(vi) श्री गोपाल रविदास
(vii) श्री भरत बिंद
(viii) श्री राम रतन सिंह
(ix) श्री विनय कुमार
(x) श्री संदीप सौरभ
(xi) श्री ललित नारायण मंडल
(xii) श्री अखतरूल ईमान
(xiii) श्री रामबली सिंह यादव
(xiv) श्री सूर्यकान्त पासवान
(xv) श्री अजीत कुमार सिंह
(xvi) श्री बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xvii) श्री मो० इजहार असफी
(xviii) श्री सत्यदेव राम
(xix) श्री मुकेश कुमार यादव
(xx) श्री अजय कुमार
(xxi) श्री मो० अनजार नईमी
(xxii) श्री मनोज मंजिल
(xxiii) श्री रणविजय साहू
(xxiv) श्री मो० कामरान
(xxv) श्री संजय कुमार गुप्ता
(xxvi) श्री सुदामा प्रसाद

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 28.02.2023 एवं 02.03.2023 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य श्री अजय कुमार एवं अन्य सभासदों का पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री अजय कुमार द्वारा पढ़ा गया। समयाभाव के कारण उत्तर के लिए इसे आसन द्वारा अगली तिथि के लिए स्थगित किया गया।

(iii) माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन एवं अन्य सभासदों का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन द्वारा पढ़ा गया। समयाभाव के कारण उत्तर के लिए इसे आसन द्वारा अगली तिथि के लिए स्थगित किया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04:05 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि आज "दिनांक 03 मार्च 2023 को सम्पन्न हुए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन पर सदन की सहमति हो।"

आसन द्वारा कहा गया कि आज दिनांक 03 मार्च 2023 के कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में निम्न सिफारिशें की गयी हैं:–

1. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो,

2. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जन संसाधन विभाग से संबंधित आय–व्ययक के अनुदान की मांग शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2023 को गृह विभाग से संबंधित आय–व्ययक के अनुदान की मांग के पश्चात मुखबंद (गिलोटीन) के माध्यम से निष्पादित किए जाएं,
3. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2023 के सभी स्वीकृत प्रश्नों को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की समीक्षा हेतु भेज दिये जाएं,
4. शेष कार्य यथावत रहेंगे।

समिति की उक्त सिफारिशों पर सदन की सहमति हुई।

[6] वित्तीय कार्य :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श (दिनांक 02 मार्च, 2023 से जारी) एवं सरकार का उत्तर।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०
2. श्री सतीश कुमार, स०वि०स०
3. श्री अजय कुमार, स०वि०स०
4. श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स०
5. श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स०
6. श्रीमती संगीता कुमारी, स०वि०स०
7. श्री रत्नेश सादा, स०वि०स०
8. डॉ० शकील अहमद खाँ, स०वि०स०

इस दौरान माननीय सदस्य, डॉ० शकील अहमद खाँ के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक पर सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

[7] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 49 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

[8] आसन का संदेश :–

आसन द्वारा कहा गया कि अष्टम सत्र के दूसरे दिन से ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण का आचरण सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं रहा है। आसन से उन्हें सदैव ही मर्यादित आचरण का अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन वे आसन का भी सम्मान नहीं करते हैं। आसन की तरफ उंगली दिखाते हैं, बिना इजाजत के ऊँची आवाज में बोलते हैं, मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वेल में आकर कुर्सियां उठाते हैं, टेबुल पीटते हैं, जिससे वहाँ बैठे विधान सभा के पदाधिकारियों को कार्य करने में भारी कठिनाई होती है। आज की सदन की कार्यवाही में विरोधी दल के माननीय सदस्य, श्री जीवेश कुमार, श्री जनक सिंह, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री लखेन्द्र कुमार रौशन का आचरण निन्दनीय रहा है। यदि उनका आचरण यही रहा तो मझे विवश होकर कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक–06 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–03.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।